न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, ब्यावर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी — स्नेहलता जाखड़, आर.जे.एस.

दीवानी वाद संख्या — 02/2018

1. नाथूलाल कुम्हार पुत्र स्व. भूरालाल जाति कुम्हार
2. भैरूलाल पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार

निवासीयान टॉडगढ़ जिला अजमेर। —वादीगण

बनाम

1. दिनेश शर्मा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण
2. मदनगोपाल पडियार पुत्र नंगजी रामजी जाति कुम्हार
3. महेन्द्र प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार

निवासीयान टॉडगढ़ जिला अजमेर।

4. राजीव दुबे ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत टॉडगढ़ जिला अजमेर।
5. शिवदास सिंह विकास अधिकारी जवाजा जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर। —प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्रजी शर्मा विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री माधव गोपालजी गर्ग, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक
3. श्री सुरेशचन्द्रजी कुमावत, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या दो व तीन
4. प्रतिवादी संख्या चार व पॉच की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

आदेश **दिनांक :– 04.01.2018**

प्रतिवादी संख्या चार की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पेश किया, जिसका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या चार ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कथन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या चार के विरूद्ध भी उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुतोष

चाहा है। प्रतिवादी संख्या पॉच शिवदास विकास अधिकार जवाजा नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या चार को वाद दायर करने से पूर्व निर्धारित समयावधि में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत् सूचना पत्र नहीं दिया है और धारा 80 (2) सीपीसी के प्रावधान भी लागू नहीं होते है। अंत में उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र को अस्वीकारते हुए कथन किया कि वाद व प्रार्थनापत्र में टंकण त्रुटिवश शिवदान के स्थान पर शिवदास अंकित हो गया है, जो सद्भाविक त्रुटि है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 23.10.2017 को सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत टॉडगढ़ को उसने अपने स्वामित्व के दस्तावेज सहित सूचना देकर वादग्रस्त जायदाद से संतुष्ट करवा दिया था। वादीगण द्वारा पृथक से धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुमति चाही गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अपने पट्टेशुदा जायदाद बाबत् ही अनुतोष चाहा है, वादीगण ने किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। वादीगण ने अपने अतिरिक्त कथन में कथन किया कि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर वादीगण की उक्त 369 वर्गगज जायदाद में से रास्ता निकालने पर आमादा है। अंत में प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र को भारी खर्चे के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या चार ने मुख्यतः अपने प्रार्थनापत्र में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने उसके विरूद्ध भी उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या पॉच शिवदास विकास अधिकार जवाजा नहीं है। वादीगण ने उसको वाद दायर करने से पूर्व निर्धारित समयावधि में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत् सूचना पत्र नहीं दिया है और धारा 80 (2) सीपीसी के प्रावधान भी लागू नहीं होते है। अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या चार की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 1998 डी.एन.जे. (राज.) 221 प्रस्तुत किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मुख्यतः अपने जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद व प्रार्थनापत्र में टंकण त्रुटिवश शिवदान के स्थान पर शिवदास अंकित हो गया है, जो सद्भाविक त्रुटि है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 23.10.2017 को सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत टॉडगढ़ को उसने अपने स्वामित्व के दस्तावेज सहित सूचना देकर वादग्रस्त जायदाद से संतुष्ट करवा दिया था। उनके द्वारा पृथक से धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुमति चाही गई है। उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में उन्होंने अपने पट्टेशुदा जायदाद बाबत् ही अनुतोष चाहा

है, उन्होंने किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होंने अपने अतिरिक्त कथन में कथन किया कि प्रतिवादीगण आपस में मिलकर उनकी उक्त 369 वर्गगज जायदाद में से रास्ता निकालने पर आमादा है। अपने तर्कों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या चार की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यू 2004 (3) (राज.) 1855 तथा डी.एन.जे. 2014 (1) (राज.) 62 प्रस्तुत किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 के निम्नलिखित प्रावधान हैं :–

109. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विरूद्ध वाद आदि :– *(1) किसी पंचायती राज संस्था के विरूद्ध या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही–*

(क) तब तक संस्थित नहीं की जायेगी जब तक कि वाद हेतुक आशयित वादी के नाम और निवास स्थान और उस अनुतोष की प्रकृति का, जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाला लिखित नोटिस उसके कार्यालय पर परिदत्त कर दिये गये या छोड़ दिये जाने के, पश्चात् दो मास समाप्त न हो गये हों; और वाद में, ऐसे प्रत्येक मामले में, यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया गया या छोड़ दिया गया है; या

(ख) यदि व स्थावर संपत्ति की वसूली के लिए या उसके हक की किसी घोषणा के लिए कोई वाद न हो, तो अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के पश्चात् के छह मास के भीतर से अन्यथा संस्थित नहीं की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस, जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के लिए आशयित हो तो क्रमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्बोधित होगा।

उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान हैं। जब तक पदीय हैसियत में किये गये कृत्य के संबंध में ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 के तहत नोटिस न दिया गया हो, तब तक ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई दावा नहीं लाया जा सकता है। उक्त दावा ग्राम पंचायत के विरूद्ध वादीगण द्वारा उसकी पदीय हैसियत में लाया गया है। वादीगण ने स्वयं वादपत्र की मद संख्या–8

में अंकित किया है कि ''प्रतिवादी संख्या चार व पॉच अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कार्यवाही को अंजाम देने पर उतारू है.....।'' अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या चार व पॉच के विरूद्ध उनके पदीय हैसियत में उनके विरूद्ध दावा लाया जाना, उनके विरूद्ध अनुतोष चाहना, वादीगण के अभिवचनों से स्पष्ट होता है।

वादीगण द्वारा धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का नोटिस प्रतिवादी संख्या चार को दिया गया हो, ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। वादीगण का कथन है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत को दिनांक 23.10.2017 को उन्हें प्रेषित किये गये जवाब का जवाब नोटिस की परिधि में आता है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को प्रकरण की सूचना हो गयी थी। इस संबंध में पत्रावली पर पेश वादी द्वारा उक्त तथाकथित दस्तावेज का अवलोकन किया जाए तो उक्त दस्तावेज नाथूलाल द्वारा ग्राम पंचायत को नोटिस के जवाब बाबत् भेजा गया जवाब है, जिसमें नाथूलाल द्वारा स्वयं को भेजे जवाब का जवाब पेश किया जाना अंकित है। उक्त दस्तावेज धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की परिधि में नहीं आता है। धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में नोटिस की अंतर्वस्तु का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें वाद हेतुक, आशयित वादी का नाम और निवास स्थान उस अनुतोष की प्रकृति इत्यादि अंतर्वस्तु का होना आवश्यक है। वादीगण जिस तथाकथित दस्तावेज को नोटिस होना बताते है, वह नोटिस धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की परिधि में नहीं आता है तथा धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एक आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना वादीगण द्वारा नहीं की गई है। न्यायालय के इस मत की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **1998 डी.एन.जे. (राज.) 221 मेवाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य** से भी होती है। वादीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या चार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांकित 27.12.2017 स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र नामंजूर किये जाने योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रतिवादी संख्या चार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांकित 27.12.2017 स्वीकार किया जाकर वादीगण

की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र नामंजूर किया जाता है।

(स्नेहलता जाखड़)
सिविल न्यायाधीश, ब्यावर

आदेश आज दिनांक 04.01.2018 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(स्नेहलता जाखड़)
सिविल न्यायाधीश, ब्यावर